

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०: 1642 / 12-1

दिनांक 21 / 12 / 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद-टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में नगर पंचायत गजा के नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु 0.20 हे० वन भूमि नगर पंचायत गजा को दिये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/OTHERS/29354/2017)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक-8बी०/यू० सी०पी०/०९/३६/२०२२/एफ०सी०/९१४ दिनांक-३०.०९.२०२२

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित से इंगित कमियों का निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक-316/न०प०/२०२२-२३ गजा दिनांक 13-12-2022 से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित किया जा रहा है :-

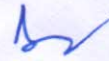
क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point no-1 the details of other areas examined and the reasons for their rejection are still not provided. Hence, the details regarding the same is required to be submitted by the State Government.	बिन्दु संख्या-01 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वैकल्पिक समरेखण तथा उसे निरस्त किये जाने का विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्न-01)
2	In reply to point no-2, wildlife mitigation plan uploaded in addl. Document on online portal pertains to a transmission line project. State Government is requested to submit the wildlife mitigation plan for the proposal under consideration.	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित मिटिगेशन प्लान संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्न-02)
3	with reference to point no-3, D.O. latter has been issued by Secretary MoEF&CC on 03-07-2017 according to which Environment Clearance (EC) is required in this case. Therefore, it is requested to update accordingly in the Part I and Seek EC Clearance from appropriate authority.	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत का राजपत्र असाधारण भाग-II खंड 3 उप खंड (II) प्राधिकरण से प्रकाशित सं० 861 नई दिल्ली शुक्रवार 8 अप्रैल 2016 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 8 अप्रैल 2016 के अनुसार 05 टन प्रतिदिन से अधिक के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के लिए आवश्यक है। जबकि नगर पंचायत गजा में मात्र 1.0 टन ही है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 8 अप्रैल 2016 की प्रति संलग्न है यदि फिर भी आवश्यक होगा तो भूमि हस्तान्तरण के पश्चात करवा लिया जाएगा क्योंकि यदि किसी कारणवश यदि भूमि हस्तान्तरण नहीं होता है, तो फिर EC का कोई औचित्य नहीं रहेगा। (संलग्न-03)
4	In reply to point no. 5, map of the plantation area is still not provided. State Government is requested to submit/upoad tha map for the plantation area.	बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन में अवगत कराना है कि वनीकरण क्षेत्र के टोपो सीट एवं जी०आई०एस० मैप ऑन लाइन परिवेश पोर्टल के भाग 2 के एडिसनल कॉलम में अपलोड कर दिये गये हैं जिसकी प्रतियां मय संलग्नको के प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्न-04)

89

5 In reply to point no. 7 it is mentioned that all the muck generated will be utilized. State Government is requested to submit an undertaking in this regard duly authenticated by the concerned DFO.	बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना से उत्सर्जित होने वाले मलवे का निस्तारण उसी स्थल पर समतलीकरण करने हेतु प्रयोग किया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की अद्योहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति संलग्न सहित प्रेषित की जा रही हैं। (संलग्न-05)
---	---

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय



प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 1642/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गजा जिला-टिहरी गढ़वाल को उनके पत्रांक-316 न0प0/2022-23 गजा/दिनांक 13-12-2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

